भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1420**
उत्तर देने की तारीख 09.02.2026

**एनएमसीएम के अंतर्गत पहल**

**1420. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के व्यापक दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के उपाय और प्रत्येक पहल के तहत आने वाली चुनौतियां शामिल हैं;

(ख) क्या एनएमसीएम के अंतर्गत पारंपरिक कलाकारों और सांस्कृतिक साधकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो आवंटित और वितरित की गई धनराशि, सहायता प्राप्त कलाकारों की संख्या तथा कलाकारों के चयन की प्रक्रिया और मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से विरासत को संरक्षित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो अब तक प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध अमूर्त सांरकृतिक विरासत को संरक्षित करने में किन्हीं चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो पहचानी गई चुनौतियों और इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): मेरा गांव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के अधीन एक मुख्य घटक है जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्राम स्तर पर मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को मानचित्रित करने हेतु राष्ट्रव्यापी डिजिटल संग्रह के रूप में विकसित किया गया है। एमजीएमडी पोर्टल अनेक प्रकार के सांस्कृतिक

घटकों का प्रलेखन करता है जिनमें विरासत स्थल, कला रूप, प्रसिद्ध कलाकार, वाचिक परंपराएं, आस्थाएं और रीति-रिवाज, ऐतिहासिक महत्व, स्थानीय प्रसिद्ध स्थल, मेले और महोत्सव, पारंपरिक परिधान, आभूषण और पारंपरिक खान-पान शामिल हैं।

मिशन के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती पूरे भारत के छः लाख से भी अधिक गांवों की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रलेखन में व्यापक परिमाण और निहित जटिलता थी।

(खः एनएमसीएम प्रलेखन कार्यकलाप करता है और इसमें पारंपरिक कलाकारों और सांस्कृतिक साधकों हेतु सीधे तौर पर वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): एनएमसीएम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ): कठिन भू-भाग और दूरस्थता के कारण आने वाली चुनौतियों के बावजूद, पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सफलतापूर्वक प्रलेखित किया गया है।

*****